संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क0 9 / नर्सिंग / सेल–1 / 2013 भोपाल दिनांक / /2013

शुद्धि आदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के पदोन्नति आदेश क0 9 / नर्सिंग / सेल 1 / 2013 / 777 दिनांक 2.8.2013 के द्वारा सरल क. 17 वरिष्ठता क. 24 पर अंकित श्रीमती एम. रिछारिया, अनारक्षित, जिला चिकित्सालय मंडला दर्शित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण होने के कारण उक्त नाम के स्थान पर श्रीमती एन.रिछारिया पढ़ा जावे। शेष शर्तें पूर्ववंत जारी किये गये निर्देशानुसार रहेगीं।

संचालक
चिकित्सा सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0क0 9 / नर्सिंग / सेल–1 / 2013/1081 भोपाल दिनांक 1/11/2013

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर संचालक, एच.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर विभागीय बेवसाईट पर उक्त आदेश को प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला मंडला के पत्र क. स्था. / एन.जी. / 2013 / 1199 दिनांक 2.9.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित मध्यप्रदेश।
4. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
5. श्रीमती एन.रिछारिया, मेट्रन जिला चिकित्सालय मंडला मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।

1/11/13
संचालक
चिकित्सा सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश, भोपाल

क.9/नर्सिंग/सेल 1/एफ. 13/2013 भोपाल दिनांक /9/2013

//संशोधित आदेश//

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के आदेश क0 9/नर्सिंग/सेल 1/एफ. 13/2013/776 दिनांक 2.8.2013 के द्वारा नर्सिंग सिस्टर/हाउस कीपर को मेट्रन के पद पर किये गये पदोन्नति आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। शेष शर्ते पूर्ववत दिये गये निर्देशानुसार रहेगी।

सरल क0	वरिष्ठता क.	कर्मचारी का नाम	पूर्व में किया गया पदोन्नति स्थान	संशोधित पदोन्नति स्थान
1	11	कु. राजकुमारी चौरसिया	जिला चिकि. मंडला	सिविल अस्पताल नैनपुर मंडला
2	27	श्रीमती अनुराधा अवस्थी	क्षय आरोग्यधाम छिन्दवाड़ा	जिला चिकि. छिन्दवाड़ा

(डॉ. पी.एन.एस. चौहान)
संचालक चिकित्सा सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 9/नर्सिंग/सेल–1/2013/ 902 भोपाल दिनांक 16/9/2013

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, मा0 मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. प्रभारी एम.आई.एस.की ओर भेजकर लेख है कि संशोधित पदोन्नति आदेश की प्रति स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करें।
4. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र.।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला छिंदवाडा/ मंडला म.प्र.।
6. अधीक्षक क्षय आरोग्यधाम छिन्दवाड़ा के पत्र क. स्था/2013/1406 दिनांक 12.8.2013 के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।
7. संबंधित .... कर्मचारी की ओर भेजकर लेख है कि आप शीघ्र कार्यमुक्त होकर पदोन्नति पर दिनॉक 22.9.2013 तक कार्यभार ग्रहण करें एवं उपस्थिति रिपोर्ट की एक प्रति उपसंचालक (नर्सिंग) को भेजें। यदि आपके द्वारा समयावधि मे कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो आपसे कनिष्ट कर्मचारी को पदोन्नति का अवसर दिया जावेगा। इस बावत् किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
8. निज सहायक/स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक चिकित्सा सेवायें/उप संचालक नर्सिंग की ओर सूचनार्थ।
9. आदेश नस्ति।

16/9/2013

(डॉ. पी.एन.एस. चौहान)
संचालक चिकित्सा सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश, भोपाल

क.9/नर्सिंग/सेल 1/एफ. 13/2013 भोपाल दिनांक /8/2013

//संशोधित आदेश//

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के आदेश क0 9/नर्सिंग/सेल 1/एफ. 13/2013/776 दिनांक 2.8.2013 के द्वारा नर्सिंग सिस्टर/हाउस कीपर को मेट्रन के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किये गये थें। उक्त आदेश के सरल क0 19 वरिष्ठता क. 26 पर अंकित श्रीमति जानकी सेन को जिला चिकित्सालय बालघाट में पदस्थ किया गया था। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये जिला बालाघाट के स्थान पर जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर पढा जावें। शेष शर्ते पूर्ववत दिये गये निर्देशानुसार रहेगी।

(डॉ. पी.एन.एस. चौहान)
संचालक
चिकित्सा सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 9/नर्सिंग/सेल–1/2013/813 भोपाल, दिनांक13.8.2013

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, मा0 मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि पदोन्नति आदेश की प्रति स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करें ।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला नरसिंहपुर/बालाघाट मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
6. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि आप शीघ्र कार्यमुक्त होकर पदोन्नति पर दिनॉक 20.08.2013 तक कार्यभार ग्रहण करें एवं उपस्थिति रिपोर्ट की एक प्रति उपसंचालक (नर्सिंग) को भेजें। यदि आपके द्वारा समयावधि मे कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो आपसे कनिष्ट कर्मचारी को पदोन्नति का अवसर दिया जावेगा। इस बावत् किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. संबंधित कर्मचारी श्रीमती जानकी सेन, नर्सिंग सिस्टर जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर की ओर पालनार्थ।
8. निज सहायक/स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक चिकित्सा सेवायें /उप संचालक नर्सिंग की ओर सूचनार्थ।
9. आदेश नस्ति।

13/8/13
(डॉ.पी.एन.एस.चौहान)
संचालक
चिकित्सा सेवाऐं
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुडा भवन मध्यप्रदेश

क्र. 9/नर्सिंग/सेल–1/एफ–13/2013/ भोपाल, दिनांक .8. 2013

//आदेश//

दिनांक 6.6.2013 एवं 26.6.2013 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में रखे गये कर्मचारियों के पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रदेश में कार्यरत् निम्नलिखित नर्सिंग सिस्टर/हाउसकीपर को मैट्रन के पद पर वेतनमान पुनरीक्षित वेतन बैंड पी.बी. 2 रूपयें 9300 – 34800 + ग्रेड पे 3200 में पदोन्नति कर उन्हे अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नवीन पदस्थापना में दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता हैं।

उन्हें पदोन्नति उपरांत पदस्थापना स्थान पर दिनांक 20.08.2013 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् ही पदोन्नति प्रभावशील होगी।

इन पदोन्नत कर्मचारियों की पारस्पारिक वरिष्ठता पूर्ववत रहेगी, किन्तु समय–सीमा में कार्यभार ग्रहण नही करने पर वरियता पर विपरीत प्रभाव पडेगा। यदि समयावधि में किसी कर्मचारी द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण नही किया गया तो पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

1. अनारक्षित वर्ग :–

अनु. क्र.	वरि. क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्ग	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	3	मधुबाला शुक्ला	अनारक्षित	28.2.91	आई.पी.पी. 6 प्रशि.के.बैतूल	आई.पी.पी. 6 प्रशि.के.बैतूल
2.	4	श्रीमती सिशली डेनियल	अनारक्षित	9.10.93	जिला चिकि.कटनी	जिला चिकि.कटनी
3.	7	श्रीमती के. वी. बानी	अनारक्षित	21.2.97	जिला चिकि. शहडोल	जिला चिकि. शहडोल
4.	8	श्रीमती सोसम्मा जार्ज	अनारक्षित	21.2.97	जिला चिकि. शहडोल	जिला चिकि. शहडोल
5.	9	श्रीमती किरण पाठक	अनारक्षित	26.2.97	रानी दुर्गावती चिकि. जबलपुर	सेठ गोविन्ददास चिकि. जबलपुर
6.	11	राजकुमारी चौरसिया	अनारक्षित	3.7.97	सा.स्वा.के.नैनपुर मंडला	जिला चिकि.मंडला
7.	13	श्रीमती सुरैया खान	अनारक्षित	18.12.97	जिला चिकि. गुना	जिला चिकि. गुना
8.	14	श्रीमती रजनी कामले	अनारक्षित	14.9.98	शा.चि. माधवनगर उज्जैन	जिला चिकि. इंदौर
9.	16	श्रीमति उर्मिला बरोलिया	अनारक्षित	24.9.98	सि.अ.बैरागढ़ भोपाल	सि.अ.बैरागढ़ भोपाल
10.	17	श्रीमती मधुलिका कौशिक	अनारक्षित	25.9.98	सि.अ.महू इंदौर	क्षय चिकि. इंदौर
11.	18	श्रीमति कमला राजुरकर	अनारक्षित	25.9.98	जिला चिकि. होशंगाबाद	जिला चिकि. होशंगाबाद
12.	19	श्रीमती पुष्पा शर्मा	अनारक्षित	25.9.98	जिला चिकि. पन्ना	जिला चिकि. पन्ना
13.	20	श्रीमती पूजा नाईक	अनारक्षित	25.9.98	क्षय चिकि. नौगांव छतरपुर	क्षय चिकि. नौगांव छतरपुर
14.	21	श्रीमति विभा बोरगांवकर	अनारक्षित	25.9.98	एस.पी.एम. चिकि. बुरहानपुर	जिला चिकि. बुरहानपुर
15.	22	श्रीमती उषा	अनारक्षित	29.9.98	जिला चिकि. मंदसौर	जिला चिकि. मंदसौर

		श्रीवास्तव				
16.	23	श्रीमति सरोज जार्ज	अनारक्षित	30.9.98	जिला चिकि. दमोह	जिला चिकि. दमोह
17.	24	श्रीमति एम.रिछारिया	अनारक्षित	10.10.98	जिला चिकि. मंडला	जिला चिकि. मंडला
18.	25	ऐलिजाबेथ जोसफ	अनारक्षित	17.10.98	जिला चिकि. रतलाम	जिला चिकि. रतलाम
19.	26	जानकी सेन	अनारक्षित	3.11.98	जिला चिकि. बालाघाट	जिला चिकि. बालाघाट
20.	27	श्रीमती अनुराधा अवस्थी	अनारक्षित	7.11.98	क्षय आरोग्यधाम छिन्दवाड़ा	क्षय आरोग्यधाम छिन्दवाड़ा
21.	28	श्रीमति पूनमशशी त्रिपाठी	अनारक्षित	8.11.98	जिला चिकि. जबलपुर	जिला चिकि. जबलपुर
22.	29	श्रीमति चंदा सोंधिया	ओ.बी.सी.	10.11.98	जिला चिकि. जबलपुर	जिला चिकि. जबलपुर
23.	32	श्रीमति मीनालक्कड	अनारक्षित	4.10.99	जय प्रकाश चिकि. भोपाल	जय प्रकाश चिकि. भोपाल
24.	33	श्रीमति गुरूवन्त कौर	अनारक्षित	6.10.99	जिला चिकि. धार	जिला चिकि. धार
25.	34	श्रीमती ए. वर्गीस	अनारक्षित	6.10.99	जिला चिकि. खंडवा	जिला चिकि. खंडवा
26.	36	श्रीमती माया रोजिन्दार	अनारक्षित	11.10.99	जिला चिकि. इंदौर	जिला चिकि. इंदौर
27.	37	एस सैम्युल	अनारक्षित	12.10.99	जिला चिकि. देवास	जिला चिकि. देवास
28.	39 B	श्रीमति विजयकुमारी पिल्लई	अनारक्षित	15.10.99	जय प्रकाश चिकि. भोपाल	जय प्रकाश चिकि. भोपाल
29.	41	सारलेट ठाकुर	अनारक्षित	15.10.99	जिला चिकि. छतरपुर	जिला चिकि. छतरपुर
30.	45	श्रीमती सरोज अरोरा	अनारक्षित	21.1.2000	जिला चिकि. खंडवा	जिला चिकि. खंडवा
31.	46	श्रीमती के.चाको	अनारक्षित	1.9.2000	जिला चिकि. राजगढ़	जिला चिकि. राजगढ़

2. अनु. जाति वर्ग :–

अनु. क्र.	वरि. क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्ग	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	वर्तमान पदस्थापना स्थल	नवीन पदस्थापना स्थल
1	2	शोभा सैनी	अ.जा.	31.5.90	जिला चिकि. रतलाम	जिला चिकि. रतलाम
2	15	श्रीमति पी.थनवार	अ.जा.	17.9.98	जिला चिकि. नरसिंहपुर	जिला चिकि. नरसिंहपुर

3. अनु. जनजाति वर्ग :–

अनु. क्र.	वरि. क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्ग	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	वर्तमान पदस्थापना स्थल	नवीन पदस्थापना स्थल
1	5	कुसुमसिंह	अजजा	20.12.95	जिला चिकि. रतलाम	जिला चिकि. रतलाम

(1) प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा प्रकाशित दिनॉक 11.06.2002 के तहत निर्धारित अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये आरंक्षण संबंधी निर्देशों का पालन किया गया है।

(2) पदोन्नत नर्सिंग सिस्टर को कार्यमुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंवे कि संबंधित के विरूद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त/न्यायालयीन/अनाधिकृत अनुपस्थिति/निलंबित इत्यादि कोई प्रकरण किसी भी स्तर पर लंबित हो तो उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार न कराते हुये इनकी सूचना तत्काल संचालनालय को भेजें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि पदोन्नत हुए अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों की सेवापुस्तिका की प्रविष्टि से सत्यापन करने के पश्चात् ही पदोन्नति का लाभ दिया जाये।

(3) उपरोक्त सभी की ओर भेजकर लेख है कि पदोन्नत हुए कर्मचारियों को समयावधि में कार्यमुक्त करें साथ ही आपके अधीन कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों को दर्शाये स्थान पर पदभार ग्रहण करावें। इसकी जानकारी उप संचालक नर्सिंग को दिनॉक 31.8.2013 तक कार्यभार ग्रहंण करने वाले/नहीं करने वाले कर्मचारियों की सूचना अनिवार्य रूप से समय सीमा में भेजें। पदोन्नति आदेश की पुष्टि विभागीय वेबसाईट www.health.mp.gov.in से करें।

<u>आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित</u>

(डॉ.पी.एन.एस.चौहान)
संचालक
चिकित्सा सेवाऐं
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 9/नर्सिंग/सेल–1/2013/777 भोपाल, दिनांक 2.8.2013

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, मा0 मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि पदोन्नति आदेश की प्रति स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करें ।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला रतलाम/बैतूल/कटनी/होशंगाबाद/शहडोल/जबलपुर/उज्जैन/गुना/नरसिंहपुर/भोपाल /इंदौर/पन्ना/छतरपुर/बुरहानपुर/मंदसौर/दमोह/बालाघाट/छिन्दवाड़ा/धार/खंडवा/मंडला/ देवास/राजगढ़ मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
6. अधीक्षक/सिविल अस्पताल/क्षय चिकित्सालय जिला इंदौर, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश।
7. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि आप शीघ्र कार्यमुक्त होकर पदोन्नति पर दिनॉक 20.08.2013 तक कार्यभार ग्रहण करें एवं उपस्थिति रिपोर्ट की एक प्रति उपसंचालक (नर्सिंग) को भेजें। यदि आपके द्वारा समयावधि मे कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो आपसे कनिष्ट कर्मचारी को पदोन्नति का अवसर दिया जावेगा। इस बावत् किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
8. संबंधित कर्मचारी श्रीमती...की ओर पालनार्थ।
9. निज सहायक/स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक चिकित्सा सेवायें /उप संचालक नर्सिंग की ओर सूचनार्थ।
10. आदेश नस्ति।

(डॉ.पी.एन.एस.चौहान) 1/8/13
संचालक
चिकित्सा सेवाऐं
मध्यप्रदेश